

**कार्यालय: जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0, प्रयागराज।**

पत्रांक- /जि0का0अधि0/बा0वि0परि0/आं0वा0 चयन/2026-27 दिनांक 22 अप्रैल, 2026

**विज्ञापित**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश सं0-1/1092245/2025/3313/ 58-1-2025 (1917687) दिनांक-17 सितम्बर 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद प्रयागराज के शहरी/ ग्रामीण क्षेत्रों में संवर्धित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के मानदेय पर संविदा आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेब साइट <https://www.upanganwadibharti.in> पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का बाल विकास परियोजनावार संख्यात्मक विवरण निम्नवत है-

(i) पूर्व चयन प्रक्रिया से आच्छादित पद :-

क्रमांक	परियोजना का नाम	रिक्त पदों का विवरण			
		UR	OBC	SC	TOTAL
1	2	3	4	5	6
1	गेजा	0	0	2	2
2	शहर-द्वितीय	0	1	0	1
योग:-		0	1	2	3

(ii) नवीन चयन प्रक्रिया से आच्छादित पद :-

क्रमांक	परियोजना का नाम	रिक्त पदों का विवरण			
		UR	OBC	SC	TOTAL
1	2	3	4	5	6
1	शंकरगढ़	02	02	02	06
2	सोदाबाद	00	02	01	03
3	शहर-द्वितीय	06	04	02	12
4	शहर-प्रथम	09	08	02	19
5	प्रतापपुर	01	02	00	03
6	गेजा	08	02	02	12
7	मऊआइमा	00	00	01	01
8	कोराव	05	00	02	07
9	कौड़िहार	04	02	00	06
10	जसरा	07	03	04	14
11	हण्डिया	00	00	01	01
12	धनूपुर	01	00	01	02
13	चाका	05	05	02	12
14	बहरिया	02	03	03	08
15	बहादुरपुर	05	03	03	11
16	फूलपुर	03	03	01	07
17	गाण्डा	04	01	00	05
18	होलागढ़	02	02	00	04
19	करछना	01	01	02	04
योग :-		65	43	29	137

उपरोक्त पदों की ग्रामसभा/वार्डवार रिक्तियों एवं आरक्षण का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्टर, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड के कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं समस्त बाल विकास परियोजना कार्यालय व जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चरखा की गयी है, साथ ही विभागीय वेबसाइट <https://www.upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश निम्नवत है:-

- चयन की समस्त कार्यवाही बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग उ०प्र० के सं०-1/1092245/2025/3313/ 58-1-2025 (1917687) दिनांक-17 सितम्बर 2025 में वर्णित प्रक्रिया के अधीन होगी।
- विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष होगी। एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी, जिसमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता पारानातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी। इसके लिए कोई लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।
- आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड/ग्रामसभा का रथाई निवासी होना अनिवार्य होगा। अन्य जनपद अथवा अन्य राज्य के निवासिनी का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- आवेदिका की आयु निर्धारित कट ऑफ डेट 01 जनवरी, 2026 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु के संबंध में हाईस्कूल अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
- विज्ञापित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट <https://www.upanganwadibharti.in> पर ऑनलाईन आवेदन निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार्य होंगे। ऑफलाईन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 13.05.2026 के मध्य रात्रि 12.00 बजे तक होगी।
- विज्ञापित पदों की संख्या घट-वृद्ध सकती है, जोकि उक्त वेबसाइट पर प्रदर्शित रहेगी।
- उपरोक्त विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट <https://www.upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा विकास भवन स्थित जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, प्रयागराज से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।
- क- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर चयन हेतु निम्न वरीयता निर्धारित है:-
  - उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।
  - उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला।

- (iii) विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अम्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम समा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
- ख- उपरोक्तानुसार कोई अम्यर्थी न मिलने पर उपरोक्त वरीयता के क्रम में ही-
- (i) उसी ग्राम समा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।
- (ii) उसी ग्राम समा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिका तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला।
- (iii) विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार का अम्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम समा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
- ग- उसी ग्राम समा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अम्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जायेगा।
- घ- (i) विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी।
- (ii) तलाकशुदा एवं परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
- (iii) आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1-9-11-राज0-9 दिनांक 30.09.2011 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्भव हो। इस संबंध में भविष्य में यदि राजस्व विभाग द्वारा कोई पृथक से शासनादेश निर्गत किया जाता है, तो नवीन शासनादेश में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- गरीबी रेखा की आय सीमा का पुनर्निर्धारण किये जाने के संबंध में समाज कल्याण अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-22/2015/2023/26-2 -2015 दिनांक 14 सितम्बर 2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।
- (iv) निवास व जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्भव हो।
11. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाइन व सही-सही साक्ष्यानी पूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, पोर्टल <https://www.upanganwadibharti.in> पर अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाईन फार्म में किया गया होगा। कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र ऑफलाईन या डाक द्वारा मान्य नहीं होंगे। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/ऑंकडे/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरधित पाये जाते हैं अथवा आनलाइन भरे विवरण में कोई डेटा मूल अंकपत्र/प्रमाण पत्र से भिन्न पाया जाता है, तो अम्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
12. नगरीय क्षेत्र में रिक्त पदों पर आवेदन करते समय तहसील द्वारा ऑनलाईन जारी निवास प्रमाण पत्र में सम्बन्धित वार्ड क्रमांक एवं वार्ड का नाम अंकित होना अपेक्षित है।
13. ऑंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का पद पूर्णतः अस्थायी एवं मानदेय पर आधारित है जिस पर उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सेवा नियमावली लागू नहीं होगी तथा शासन के निर्देशानुसार कमी भी समाप्त किये जा सकते हैं।
14. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने के पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध शासनादेश एवं निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें, जिससे किसी प्रकार की त्रुटिजनित हानि से बचा जा सके।
15. ऑनलाईन आवेदन में वेबसाइट पर भरी गयी सूचनाएँ ही चयन के लिये प्रयोग की जायेंगी। कोई भी कागजात ऑफलाईन रवीकार नहीं किया जायेगा और न ही भविष्य में चयन हेतु विचार किया जायेगा।

(दिनेश सिंह)  
जिला कार्यक्रम अधिकारी  
प्रयागराज

पृष्ठापन पत्र संख्या- C-1276

तद दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित यी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उ0प्र0 लखनऊ।
2. आयुक्त महोदय, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी महोदय, प्रयागराज।
4. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय, प्रयागराज।
5. जिला विकास अधिकारी, प्रयागराज।
6. समस्त उपजिलाधिकारी, प्रयागराज।
7. जिला सूचना अधिकारी प्रयागराज को इस आशय से कि जनपद प्रयागराज के विभिन्न समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
8. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, प्रयागराज।
9. सम्पादक, दैनिक जागरण एवं अमर उजाला प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के रिक्त पदों की विज्ञप्ति का प्रकाशन न्यूनतम शासकीय दर एवं न्यूनतम स्थान पर आगामी प्रकाशित होने वाले अंक प्रकाशित कर बिल 02 प्रतिष्ठों में भुगतान बाबत उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. समस्त, बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी जनपद प्रयागराज को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति की एक प्रति उपजिलाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने के साथ ही अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
11. कलेक्ट्रेट नोटिस बोर्ड/विकास भवन नोटिस बोर्ड/जिला कार्यक्रम अधिकारी नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
12. गार्ड फाईल।

जिला कार्यक्रम अधिकारी  
प्रयागराज